पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

फरवरी, 2023 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने क्रमशः दिनांक 17 और 18 फरवरी, 2023 को केंद्रीय सिविल अधिकारी संस्थान (CSOI) और सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन किया। चिंतन के लिए "पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार" के समग्र विषय के अंतर्गत 3 उप-विषयों पर सभी स्तर के अधिकारियों को मिलाकर 03 समूह बनाए गए थे। दिनांक 17 फरवरी को चिंतन शिविर का आरंभ योग और ध्यान से हुआ और फिर दिनभर उप-विषयों की प्रस्तुतियों और प्रस्तुत विचारों पर मंथन चलता रहा। दिनांक 18 फरवरी, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष चिंतन शिविर से उत्पन्न नए विचारों को प्रस्तुत किया गया।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कर्मचारियों के सेवा से सेवानिवृत्ति तक की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी) के तत्वावधान में दिनांक 27/02/2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 400 से अधिक सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियों का भी आयोजन किया गया:

   - माननीय राज्य मंत्री ने "केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023" पुस्तक का विमोचन किया, जो "असाधारण पेंशन नियमावली, 1939" का संशोधित संस्करण है। यह विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसमें वर्ष 1939, जब इन नियमों को प्रकाशित किया गया था, के पश्चात् इस तरह का पहला प्रयोग किया गया जिसमें सभी नियमों की समीक्षा की गई और उन्हें युक्तिसंगत बनाया गया तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का प्रकाशन जारी किया गया। नए संशोधित नियमों से विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को काफी राहत मिलेगी, जहां ड्यूटी के दौरान मृत्यु/निःशक्तता की घटनाएं सबसे आम हैं।

   - माननीय मंत्रीजी द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल (आईपीपी) के साथ केनरा बैंक के पेंशनर्स पोर्टल के एकीकरण का शुभारंभ किया गया।

   - एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल पर भारतीय स्टेट बैंक की 02 नई सेवाओं का भी शुभारंभ किया गया। इस एकीकरण का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् एकल विंडो सेवा सुनिश्चित करना था ताकि उन्हें अपने पेंशन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी बैंक शाखाओं में जाना न पड़े।

   - माननीय राज्य मंत्री (पीपी) ने पेंशनभोगियों के सुविधापूर्ण जीवन के लिए मोबाइल ऐप अर्थात "दीर्घायु" का शुभारंभ किया।

   - माननीय राज्य मंत्री ने मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ के लिए इस विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/परामर्शों/टिप्पणियों पर वृत्त अध्ययनों के संकलन पर एक पुस्तक का विमोचन किया।

3. जनवरी, 2023 मास के दौरान मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ के लिए इस विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/परामर्शों/टिप्पणियों पर वृत्त अध्ययनों के संकलन को दिनांक 06.02.2023 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा परिचालित किया गया।

4. अनुदान मांगों (2023-24) पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (DRPSC) के समक्ष दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुति दी गई।

5. सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 02 फरवरी, 23 को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का दौरा किया और सीजीएचएस पेंशनभोगियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर पेंशनभोगियों, चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षक से चर्चा की।

सीपेनग्राम्स

6. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सीपेनग्राम्स पोर्टल पर पेंशन शिकायतों के निपटान में विलंब और लंबित अपीलों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.02.2023 को सचिव (पेंशन & पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 13 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

7. इस माह के दौरान, 5221 शिकायतें दर्ज की गई और 4619 का निपटान किया गया। दिनांक 28 फ़रवरी, 2023 को अंत शेष 3762 है। विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:-

	दिनांक 01/02/2023 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 28/02/2023 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3160	5221	4619	2170	3762

भविष्य पोर्टल

8. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद और आईएनजीएएफ, नई दिल्ली में 'भविष्य' पर दो (2) कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर छः (6) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

9. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 818 संबद्ध कार्यालयों में 7943 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। दिनांक 01.03.2023 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से 38504 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 190274 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से फ़रवरी, 2023 मास में 3321 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

अनुभव

10. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8948 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 28.02.2023 तक 'अनुभव पोर्टल' के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4871 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

संकल्प

11. संकल्प: 'संकल्प' पहल के अंतर्गत विभाग ने अब तक 49 सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 6972 कर्मचारी लाभांवित हुए।

12. **जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:-** पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने फरवरी, 2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से 9,52,566/- रुपये की राशि के लिए 36 (छतीस) आदेश (उत्पादों के लिए आदेश) दिए और सेवाओं (अल्प और दीर्घ अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना, कंप्यूटर और पेरिफेरल तथा केबल प्रणाली के वार्षिक रखरखाव संविदा) के लिए 24,11,404/- रुपये की राशि के लिए 05 (पांच) आदेश जेम के माध्यम से दिए हैं।

******